न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 111/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

रामदेव यादव ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

अशोक यादव ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

09-10-24

प्रथम पक्ष के आवेदन पर थाना प्रभारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर दिनांक 12.08.2024 को भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत कर उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- बटलोहिया, खाता नं0- 05, प्लॉट नं0- 528, रकबा- 1.20 एकड़,
चौहद्दी : उ0- परती कदीम, द0- परती कदीम, पू0- नदी, प0- परती जमीन

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना - अपना पक्ष रखा। प्रथम पक्ष का कहना है कि उनके पिता बैजनाथ महतो वगैरह को फसली वर्ष 1347 से हुकुमनामा के जरिए उक्त भूमि हासिल है तथा लगान रसीद वर्ष 2008 तक निर्गत है। प्रथम पक्ष के द्वारा धान का फसल लगाने पर द्वितीय पक्ष के द्वारा धमकी दिए जाने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक सादा हुकुमनामा की छायाप्रति, वर्ष 2008-09 तक का निर्गत ऑफलाइन रसीद की छायाप्रति एक, नक्शा की छायाप्रति एक, दाखिल करते हैं।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष अपने कारण पृच्छा में बयान करते है कि जमीन गैरमजरूआ किस्म का है तथा उनके दखल कब्जे में है। द्वितीय पक्ष आगे बतलाते है कि उक्त जमीन उन्हें हुकुमनामा से प्राप्त है। हुकुमनामा उनके पूर्वज वजीर गोप के नाम से है। उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय बिरनी के पंजी-2 के भोल्यूम नं0- 01, पृष्ठ नं0- 15 पर कायम है। राजस्व

रसीद वर्ष 2016 तक निर्गत है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक सादा हुकुमनामा की छायाप्रति, चार जमीन्दारी रसीद की छायाप्रति, ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति छः, ऑनलाइन सिलसिलेवार खतियान की छायाप्रति, ऑफलाइन पंजी-2 की छायाप्रति, एक नक्शा की छायाप्रति जमा करते है।

उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष सादा हुकुमनामा के आधार पर विवादित भूमि पर अपना - अपना दावा कर रहे हैं। प्रस्तुत वाद में अग्रेत्तर भूमि संबंधी साक्ष्य तथा अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन आवश्यक होगा ताकि वाद में कोई तार्किक निर्णय किया जा सके। चुँकि भा0 ना0 सु0 सं0 की धारा 163 में कालावधि सीमित होती है तथा सीमित अवधि में उक्त विवेचन संभव नहीं है तथा विवाद दखल कब्जे से संबंधित प्रतीत हो रहा है अतः उक्त वाद को भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 में परिवर्तित करने के प्रथम पक्ष के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। उक्त आदेश के साथ भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। उभय पक्ष को भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 के तहत नोटिस भेजें। वाद को 21-1-25 रखें।

लेखापित एवं संशोधित

09-10-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

09-10-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.02 17:45:13 +05:30
Location: 192.168.1.11